दिनांक :- 14.07.2020

प्रेस नोट

श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय जोधपुर के निर्देशानुसार एवं श्रीमान पुलिस उपायुक्त मुख्यालय एवं यातायात के सुपरविजन में आज दिनांक 14.07.2020 को मेडिकल चौराहा पर मन् सहायक पुलिस आयुक्त यातायात पश्चिम के नेतृत्व में आमजन एवं वाहन चालकों को यातायात नियमों की पालना एवं मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा दिनांक 08.07.2020 को यातायात नियमो के उल्लघंन पर पूर्व की अधिसूचना के अतिक्रमण प्रवर्तन की कार्यवाही के दौरान प्रशमन राशि में बढ़ोतरी की जानकारी के सम्बन्ध में यातायात पुलिस एवं लॉयन्स क्लब, जोधपुर ईस्ट के संयुक्त तत्वाधान में ''यातायात जन जागरूकता'' कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में यातायात पुलिस के श्री हनुमानसिंह निरीक्षक पुलिस, श्री सुरेशकुमार सोनी निरीक्षक पुलिस मय यातायात शिक्षा टीम तथा लॉयन्स क्लब, जोधपुर ईस्ट के अध्यक्ष श्री पदमसिंह रतनू मय टीम के साथ उपस्थित हुए।

कार्यक्रम में यातायातकर्मियों के हाथों मे यातायात नियमों के फलैक्स बैनर व तख्तीयां लेकर प्रदर्शनी के रूप में उपस्थित हुए। लॉयन्स क्लब, जोधपुर ईस्ट द्वारा वाहन चालको को गांधीगिरी के तहत मास्क वितरित किये । उक्त कार्यक्रम में मेडिकल चौराहा यातायात पाईंट पर लाल बत्ती सकेंत के दौरान यातायात शिक्षा प्रभारी हनुमान सिंह हैडकानि द्वारा पब्लिक एड्रेस सिस्टम द्वारा सडक दुर्घटनाओं में कमी लाने हेतु यातायात नियमों की जानकारी देने व समझाईश के साथ पालना हेतु अपील की गई। सभी आमजन से अपील की जाती है सड़क दुर्घटना में कमी लाने हेतु यातायात नियमों कि पालना करते हुए स्वजनों को पालना करने हेतु प्रेरित कर पुलिस एवं प्रशासन का सहयोग करावे।

ओर से

(चैनसिंह महेचा)
सहायक पुलिस आयुक्त
यातायात पश्चिम जोधपुर

यातायात शिक्षा एवं जन
कार्यक्रम
यातायात पुलिस, कमिश्नरेट
RJ19B
M6631

राजस्थान पुलिस

यातायात शिक्षा एवं जन जागरुकता
कार्यक्रम
कमिश्नरेट जोधपुर
0291-2650729

तेज गति
जीवन की क्षति
Don't Mix
Drink & Drive
यातायात पुलिस
कार्यक्रम

RJ19P
LPG

RJ19P
B1703
LPG